**143. [The questioner (SHRI KRIPAL PARMAR) was absent for answer vide page 26 infra.]*

Contradiction in Labour Commission's Report

†*144. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Report of the Labour Commission is contradictory:

(b) whether it is also a fact that while the analysis of Labour Commission are quite right but the recommendations made by the Commission are not based on the same; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Second National Commission on Labour has made its recommendations on various aspects of labour *viz.*, review of laws, social security, women & child labour, skill development, unorganized sector and other matters keeping in view the need to enhance economic effciency, productivity and competitiveness of industry with due regard to safeguarding the interest of working population. The recommendations are based on in-depth examination and analysis of all the issues. The Government feels that the report of the Commission is not contradictory.

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि कोई विरोधाभास नहीं है, अखबारों में लगातार विरोधाभास के समाचार छप रहे हैं। श्रम आयोग ने न्यूनतम वेतन कानूनन सुरक्षित करने की बात कही है। दूसरी तरफ मजदूरों के लिए कृपि वेज बोर्ड बनाने से इन्कार किया है, यह अपने आप में विरोधाभास है, विरोधाभास चूंकि आप पूछ रहे हैं, आपने इन्कार कर दिया इसलिए मैंने कहा, इशारा कर दिया और भी बड़ी विसंगतियां हैं लेकिन मुझे याद है कि पिछले बजट सेशन में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि जिन कारखानों और उद्योगों में एक हजार से कम मजदूर हैं, उनके मालिकों को छूट होनी चाहिए कि वे जब चाहें मन-मुताबिक छटनी कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, बन्द कर सकते हैं। यह हम लोगों ने सुना है। मजदूर लगातार मांग कर रहे थे, सौ से नीचे छटनी का अधिकार उद्योगपतियों को नहीं होना चाहिए। लेकिन

†Original notice of the question was received in Hindi.

कानून में सौ नम्बर था। मजदूर अगर उससे ऊपर नहीं हैं तो उद्योगपति जब चाहे छटनी कर सकते हैं, बन्द कर सकते हैं। सरकार से परमिशन, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रम आयोग ने एक हजार के बजाय घटाकर तीन सौ कर दिया कि जिस उद्योग में तीन सौ से ऊपर मजदूर होंगे उनकी छटनी के बारे में सरकार से इजाजत लेनी होगी, तीन सौ से नीचे वाले पर नहीं। बड़े उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली होगी लेकिन छोटे उद्योगपति कराह गए होंगे। मैं किसी उद्योगपति का तरफदार नहीं हूं लेकिन मजदूरों का तरफदार जरूर हूं। अगर मजदूरों में काम करने का आत्मविश्वास नहीं जगा और वे उस उद्योग को अपना उद्योग नहीं समझ सके या इस भ्रम में रहे कि हमें जब चाहे निकाल दिया जाएगा, तो देश का उत्पादन ठप्प हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भ्रम की स्थितियां हैं और उन स्थितियों को जरूर स्पष्ट करें।

श्री साहिब सिंह वर्मा: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने कहा है कि विरोधाभास है। आपने अपने प्रश्न में कहा था कि श्रम आयोग की रिपोर्ट में काफी विरोधाभास है। काफी विरोधाभास का अर्थ होता है कि पचास फीसदी से ज्यादा विरोधाभास है या बहुत बड़ी संख्या में विरोधाभास है। एक-दो चीजें कहीं हो सकती हैं लेकिन अगर मैं गिनवाऊं तो एक नहीं बल्कि पचासों चीजें ऐसी हैं जिन्हें एनालाईसिस कहा है या रिकमेंड किया है। अगर मैं कहूं तो उसका पूरा उल्लेख कर सकता हूं कि लेकिन उसमें क्वेश्चन आवर करीब-करीब खत्म हो जाएगा। मंत्रालय ने यही कहा है और हमारे जवाब में भी यही कहा गया है। हम यह महसूस करते हैं कि इसमें अधिक विरोधाभास की बातें नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि काफी विरोधाभास नहीं है। यहां एनालिसिस और रिकमेंडेशन्स की बात हुई लेकिन सवाल यह है कि हमने उसमें से एडोप्ट क्या करना है। हम लगातार इसे देख रहे हैं।

उद्योगों के जो रिप्रेजेन्टेटिव हैं, एम्प्लोएज एसोसिएशन के जो लोग हैं, जितनी भी रिकमेंडेशन्स आई हैं, उसके बारे में मैं उनसे लगातार चर्चा कर रहा हूं। मैंने सभी पोलिटिक्ल पार्टीज से इसके बारे में कहा है। अगर वे इस बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो दे दें। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और जितने भी माननीय सदस्य लोक सभा और राज्य सभा को मिलाकर हैं, मैंने उन सबको भी व्यक्तिगत पत्र भेजे हैं कि नेशनल कमीशन की जो रिकमेंडेशन्स आई हैं उस पर अगर कोई माननीय सदस्य चर्चा करना चाहता है, बात करना चाहता है तो वह बात कर सकता है। हम उसके लिए उपलब्ध हैं। हम सभी तरह से चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं, उन पर हम पूरी तरह से सलाह-मशविरा करें। कोई सुझाव अगर किसी ने दिया है तो हम उस सुझाव का समावेश करें। हमने इंडियन लेबर कांफ्रेंस की बैठक में सैकिण्ड लेबर कमीशन की जो भी रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसके ऊपर पूरे दिन चर्चा की। इसके अलावा जो अनआर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है, जो कि हमारे देश का बियानवें प्रतिशत है, जो कि छत्तीस करोड़ है, जिसे देश की आजादी के पचपन साल बाद भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली, जिसके लिए कमीशन ने रिकमेंड किया है, हमें उसे भी सोशल सिक्योरिटी देनी है। उसे उस नेट में लाने के लिए, उन छत्तीस करोड़ लोगों के लिए, हम काम करें। इसके लिए

कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि इस तरह का एक ऐक्ट बने। इस पर सुझाव दिया है। हम अगले बजट सेशन में उन सब बातों को ध्यान में रखकर, एक लेजिस्लेशन बनाने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। अनआर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए किस प्रकार का प्रस्ताव हो, किस प्रकार का बिल बने, किस प्रकार का देश में कानून बने, इस तरह की चर्चा के लिए हमने दो दिन का सेमिनार बुलाया। इसमें हमने एन॰जी॰ओज॰, लेबर यूनियन्स, एम्प्लोइज ऑर्गेनाइजेशन्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री के, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, लेबर सेक्रेट्री को बुलाकर चर्चा की है। हम चाहते हैं कि लेबर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उस पर विस्तार से चर्चा की जाए। आज इस देश के लगभग पचास कानून केंद्र के बनाए हुए हैं। लेबर कमीशन ने कहा है कि हमें इसे रेशनेलाइज करना चाहिए। उसे सिम्प्लीफाई करना चाहिए, कम करना चाहिए। इसके लिए भी विचार बनाया गया है। इन पचास कानूनों को मिलाकर हम इन्हें केवल दस-बारह कानूनों में बदल देंगे। उसे सिम्प्लीफाई कर देंगे। एक हाथ में सब कानूनों की किताब आ जाएगी। हम इस प्रकार का काम करने का प्रयास करेंगे। जितने ज्यादा कानून विस्तार में होते हैं उनमें उतनी ही ज्यादा पेचीदगी होती है जिसे गरीब मजदूर समझ नहीं पाता है। हम इस पर बहुत सीरियस हैं। जहां तक लेबर कमीशन की रिपोर्ट है और माननीय सदस्य ने विरोधाभास की बात की है, तो मैंने इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा है। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और जो कुछ भी अच्छे सुझाव ये देंगे उनका इसमें समावेश करूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you planning to discuss the Labour Commission's report on the floor of the House? We can find out some time for a discussion on it.

श्री साहिब सिंह वर्मा: नहीं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले सेशन में पेशकश की थी कि इसकी रिपोर्ट यहां रखी जाए। वह पेश नहीं हो पायी थी। फिर मैंने सभापति महोदय से अनुमति लेकर उसकी सब कापियां सब सदस्यों को भेज दीं। आपके पास भी भेजी है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, we can discuss it.

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Yes; we can discuss it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If all the Members have got a copy of the Labour Commission's Report, then, we can discuss it.

श्री संजय निरुपम: सभी सदस्यों को नहीं भेजी है। सभी सदस्यों को नहीं मिली है ...(*व्यवधान*) ऐसा कुछ नहीं है।

उपसभापति: ये कह रहे हैं कि भेज दी है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सबको भेज दी है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is saying, everybody has got it. I am sure, there must be a copy of the same in the Parliament Library.

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Madam, it is in three volumes. It is very big report. We have sent it to all the Members. जिसको नहीं मिली है ... (*व्यवधान*)

इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है उपसभापति जी, अगर किसी को नहीं मिली है तो यहां पर भी कुछ रिपोर्ट की कापियां होंगी ...(*व्यवधान*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; no. ...(*Interruptions*)... Let him answer.

SHRI JIBON ROY: Madam, it has got to be discussed in the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am myself suggesting that we should find out some time for a discussion on it. And if we discuss it, then, it would be better.

श्री साहिब सिंह वर्मा: जब भी चाहें इसके ऊपर विस्तार से ...(*व्यवधान*)

उपसभापति: हां जी, आपका सप्लीमेंट्री है, बोलिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: माननीय मंत्री जी बहुत ही व्यवहार कुशल और वाक्चतुर हैं। जिस तरह से उन्होंने सदन के सदस्यों से यह कहा कि हम सबसे मिलेंगे, सबसे सलाह लेंगे, मैं उसकी तारीफ करता हूं।

श्रम आयोग ने, क्या यह सही नहीं है कि चीन के श्रमिक कानूनों का अपनी रिमोर्ट में हवाला दिया है? चीन में मजदूरी बहुत कम है। उत्पादन ज्यादा है। मजदूरी कम होने के कारण उसका माल न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के देशों में चला जाता है। देश में उत्पादन बढ़े इसलिए मजदूर की मजदूरी कम हो। दो सौ साल पहले, मैडम, इंग्लैंड में जब कोई श्रम कानून नहीं था और कारखाने बन गए तो मजदूरों से पीट-पीट कर काम लिया जाता था। बच्चों की भर्ती की जाती थी। खाने का समय नहीं दिया जाता था और कहा जाता था कि एक हाथ से रोटी खाओ और एक हाथ से काम करो। तब से इस श्रम कानून की शुरुआत हुई है और बहुत दूर तक हुई है। अब भी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वे होटल में काम करें चाहे बुनकर हों, चाहे बीड़ी बनाने वाले हों, कालीन बनाने वाले हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, उनकी पिटाई तक हुआ करती है। हम सभी लोग यह जानते हैं। हम लोगों ने यह जो कानून बनाया है यह संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए अब तक बनाया है और असंगठित क्षेत्र के मजदूर किस हिसाब से काम करते हैं-अमानवीय हिसाब से...

उपसभापति: आप सवाल पूछेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र: हां, मुझे अच्छा लगा कि मंत्री जी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन क्या श्रम आयोग की रिपोर्ट में चीन के मजदूरों के कानून के बारे में भी हवाला दिया गया है? याद रखिएगा चीन और भारत के सियासी माहौल में और उसकी गर्मी में बहुत फर्क है। यह लोकतंत्र है, यहां का मजदूर नेता आपका मिनिस्टर और राष्ट्रपति हो सकता है क्योंकि यहां जनता की हुकूमत है। अगर यह हवाला दिया है तब तो मजदूर का नाश हो जाएगा और मैं चाहूंगा कि उस हवाले का इस्तेमाल सिफारिश के तौर पर अपनी सरकार की तरफ से आप नहीं करें।

श्री साहिब सिंह वर्मा: उपसभापति महोदया, यह बात सही है कि चीन की जो व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है वह बिल्कुल भिन्न है। हमारे देश में प्रजातंत्र है और चीन की जो बातें हैं वे यहां पर सारी लागू नहीं हो सकती हैं। कोई कोई अच्छी चीज तो उसमें फिर भी मिल जाएगी। उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या यहां पर लागू की जा सकती है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि चीन की जो व्यवस्थाएं हैं, चीन के जो कानून हैं और जिस प्रकार की कुल मिलाकर व्यवस्था है वह हमारे यहां संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अलग-अलग कहां किस प्रकार की स्थिति है उसमें एनेलिसिस करते समय उसका जिक्र जरूर किया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं क्योंकि यहां तो अगर हम या देश चाहेगा तो पास हाउस ने करना है, इसलिए बात वही होगी जो प्रजातांत्रिक देश में होनी चाहिए। उस प्रकार का ही कानून आपके सामने लाया जाएगा।

श्री संजय निरुपम: धन्यवाद, उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान रिटायरमेंट स्कीम की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पहले से हमारे देश में एक वीआरएस करके रिटायरमेंट स्कीम है जिसके ऊपर श्रम आयोग की इस रिपोर्ट में खूब चर्चा हुई है। एक नयी स्कीम इस समय इंट्रोड्यूस की जा रही है वह है वीएसएस-वालंटरी सेपरेशन स्कीम। अभी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो खाद के कारखाने बंद किए जा रहे हैं या बंद किए जाने का जो निर्णय लिया गया है उन कारखानों के जीएम स्तर के लगभग 12 हजार जो कर्मचारी हैं उनको यह नोटिस दिया गया है कि आप वीएसएस लीजिए यानी जबर्दस्ती आप रिटायर हों। जितने साल की आपकी नौकरी हुई है उसके 45 डेज़ की आप सेलरी लीजिए और निकल जाइए। श्रम आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या वीएसएस स्कीम की चर्चा है या इसके बारे में कोई सुझाव है? दूसरी बात, अगर सचमुच रिटायरमेंट स्कीम के बारे में श्रम आयोग की रिपोर्ट में कोई चर्चा है तो इतनी जल्दी इसे लागू करने की क्या जरूरत है। पूरे 12 हजार कर्मचारियों को बेरोज़गार कर दें। एक तो हम कारखानें बंद कर रहे हैं, ऊपर से आप कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि आप अपने घर जाइये, यह पैसे लीजिए और निकलिए। मेरा यह निवेदन है कि श्रम आयोग की रिपोर्ट के ऊपर विस्तार से चर्चा करें और उसके बाद सचमुच सर्वसम्मति से एक रिटायरमेंट स्कीम तैयार की जाए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय उपसभापति जी, जैसा मैंने कहा है जो भी लेजिस्लेशन हम सामने लेकर आयेंगे, बिल लेकर आयेंगे, पूरी चर्चा करके, इस बात पर विस्तार से चर्चा चल रही है, अलग-अलग ग्रुप बना रखे हैं, अलग-अलग पोलिटीकल पार्टीज़ से भी हम चर्चा कर रहे हैं, माननीय सदस्य और पोलिटीकल पार्टीज़, इन से भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी सुझाव इस संबंध में और लेबर कमीशन की रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं और जो व्यवहार में आने वाली हैं, क्या आ सकती है, क्या कानून में शामिल होना चाहिए, हम उनसे मशविरा करेंगे और उनके विचारों को जो भी उचित होंगे इसमें समावेश करने का प्रयास करेंगे। ...(*व्यवधान*)

उपसभापति: एक मिनट ... (*व्यवधान*) वन सैकंड ... (*व्यवधान*) आप जवाब मत दीजिए... (*व्यवधान*) It should not be like this. आप जवाब मत दीजिए .... (*व्यवधान*) ऐसे कोई रूल ही नहीं, आई हैव नॉट आस्क्ड When I identify you, then only you speak..... (*व्यवधान*) जस्ट वन सैकंड। मंत्री जी, बट आई एम सजेस्टिंग, यह मैं आपको सुझाव दे रही हूं कि बिल लाने से पहले क्या कोई आप चर्चा करेंगे ताकि आपको हाउस की ओपीनियन मालूम हो जाए ताकि जो हाउस में डिस्कशन होगा वह आप उस बिल में इन्क्लूड कर सकें। आप इंडिविज्युअली अगर चर्चा कर रहे हैं ..... (*व्यवधान*)

श्री साहिब सिंह वर्मा: मैं यह चाहता हूं कि इस विषय पर, लेबर कमीशन की रिपोर्ट पर अगर सदन में चर्चा होती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

उपसभापति: ठीक है। ..... (*व्यवधान*)

श्री संजय निरुपम: मैडम, यह रिटायरमेंट स्कीम तब तक के लिए स्थगित होनी चाहिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: अब इसका इससे ..... (*व्यवधान*)

अब इसका इससे ..... (*व्यवधान*) कोई लेना-देना नहीं है। ... (*व्यवधान*)

उपसभापति: श्री जीवन राय। ..... (*व्यवधान*) सिट डाउन।

श्री संजय निरुपम: मैडम, वन मिनट, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कम से कम इसे तब तक के लिए स्थगित कीजिएगा। ..... (*व्यवधान*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have identified Mr. Jibon Roy.

श्री संजय निरुपम: मैडम, 40-45 साल की उम्र में जबर्दस्ती लोगों को रिटायर किया जा रहा है। .... (*व्यवधान*)

उपसभापति: संजय, प्लीज़ सिट डाउन। I have identified Mr. Jibon Roy.

श्री संजय निरुपम: मैडम 40-45 साल की उम्र में जबर्दस्ती लोगों को रिटायर किया जा रहा है।

उपसभापति: सिट डाउन, दिस इज़ नाट द वे, दिस इज़ क्वश्चन ऑवर। ... (*व्यवधान*)

श्री संजय निरुपम: मैडम, जब तक श्रम आयोग की रिपोर्ट लागू करते तब तक इस स्कीम को लागू नहीं किया जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है।

SHRI JIBON ROY: Madam, I have gone through the full report. It is a voluminous report comprising of three volumes. It is full of contradictions. In one part, the report says the economy has collapsed, because of the policies. In the next part, it says restoration of the slavery is the only way. You will find this if you go through all the volumes together. I agree with the Deputy Chairman that a full discussion on it is required and before the discussion, some home work is also required. All trade unions have demanded that before a Bill on it is brought before the House, the matter should be discussed at the tripartite level. It is because the Commission did not comprise representatives from all sections of the society. I would like to know whether the hon. Minister would agree to discuss it in the House before bringing forward a Bill. Secondly, will he accept the proposal of discussing it at the tripartite level?

SHRI S. VIDUTHALI VIRUMBI: Madam, if the hon. Minister accepts a discussion at the tripartite level, then, he should also see that trade union representatives from regional parties like the DMK, the Telugu Desam and the Asom Gana Parishad, which comprise mostly of trade union representatives would also be included in that discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When we discuss it in the House before a legislation is brought forward, as the hon. Minister has agreed on the floor of the House, then it means that all the sections of the House, including the regional parties will be included in the discussion.

SHRI JIBON ROY: But, it has to be discussed at the tripartite level.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, hon. Member says, before the discussion, he wants a tripartite meeting. In that case, there must have a proper representation.

श्री साहिब सिंह वर्मा: उपसभापति जी, लेबर कांफरेंस एक त्रिपक्षीय फोरम है जिस के अंदर सभी लोग आते हैं, उस पर हम ने पूरी चर्चा की। आप का यह कहना सही है कि ... (*व्यवधान*)...

उपसभापति: सुन तो लीजिए। आप को कान का भी इस्तेमाल करना चाहिए। God has given you too many faculties to hear and to speak, to listen also.

श्री साहिब सिंह वर्मा: उपसभापति जी, आप ने सही कहा इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैंने यह कहा कि उस कांफरेंस में इस विषय पर चर्चा हुई थी और कुछ लोगों ने यह बात कही थी कि जो भी लेजिस्लेशन हम बनाना चाहते हैं, उस का ड्राफ्ट क्या होगा, उस त्रिपक्षीय वार्ता में उस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। यह आप ने कहा था, लेकिन जब हम इस को हाउस में डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कस करेंगे और जिन की आप बात कर रहे हैं, करीब-करीब सभी पार्टीज के रिप्रजेंटेटिव्स, डिफरैंट ऑर्गनाइजेशंस के रिप्रजेंटेटिव्स उस में हैं, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रमुख लेबर ऑर्गनाइजेशंस हैं।

**145. [The questioner (DR. DASARI NARAYANA RAO) was absent for answer vide page 27 infra.]*

Delay in pension reforms

*146. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government intend to delay the Reformed Pension Plan;

(b) whether Government would announce the plan before the next Budget; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) to (c) Government do not intend to delay any reforms in the on-going pension schemes. The Government had set up a High-Level Expert Group on Pensions. The Group, in its report submitted in February 2002, has recommended substantive modifications in the existing pension system for new entrants. The recommendations made by the Expert Group are being examined in their entirety through inter-Ministerial consultations.

DR. C. NARAYANA REDDY: Madam, Chairperson, hon. Minister in her reply has stated that the Report of High Level Expert Group on Pension is being examined through inter-Ministerial consultations. My question is: What are the basic changes that have been recommended by the Expert Group?